as the registered persons in whose case the liability to pay integrated tax on supply of the said services, on the consideration received in the form of construction service referred to in clause (a) above and in the form of development rights referred to in clause (b) above, shall arise at the time when the said developer, builder, construction company or any other registered person, as the case may be, transfers possession or the right in the constructed complex, building or civil structure, to the person supplying the development rights by entering into a conveyance deed or similar instrument (for example allotment letter).

[F. No.354/13/2018 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018

संख्या 5/2018- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि.73(अ.).— एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, कच्चे पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के अन्वेषण या खनन के लिए लाइसैंस या पट्टा देकर की जाने वाली सेवाओं की अंतर राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत कर से उस हद तक छूट देती है जिस हद तक यह प्रॉफिट पैट्रोलियम में केन्द्र सरकार के हिस्से, इसकी ओर से केन्द्र सरकार द्वारा किए गए अनुबंध में यथा निर्धारित, के रूप में केन्द्र सरकार को भुगतान किए जाने वाले प्रतिफल पर लगाया जाता है।

[फा. सं. 354/13/2018- टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2018

No. 5/2018- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 73(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the inter-State supply of services by way of grant of license or lease to explore or mine petroleum crude or natural gas or both, from so much of the integrated tax as is leviable on the consideration paid to the Central Government in the form of Central Government's share of profit petroleum as defined in the contract entered into by the Central Government in this behalf.

[F. No.354/13/2018 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी 2018

सं. 6/2018- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि.74(अ.).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), एतश्मिन पश्चात् जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है, की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा उन सेवाओं की आपूर्ति पर, जिनका आयात भारत के भू-क्षेत्र में किया गया हो और जो उक्त अधिनियम की धारा 20 के द्वारा लागू किए गए केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की अनुसूची ।। के मद 5 के उप मद (ग) के अंतर्गत आती हैं, पर उक्त अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 5